बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०–6 / निदे०आयु०चि०के०(संधा०)–01–01 / 2017– 107

प्रेषक,
विरेन्द्र कुमार,
निदेशक ।

सेवा में,
आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी।
शीतलपूर (कटिहार)

पटना, दिनांक– 28.12.17

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्थायी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द के संधारण हेतु वेतन, जीवन यापन भत्ता, अन्य भत्ता मदों में कुल ₹ 1,60,000/– एक लाख साठ हजार रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 10 स्थायी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्दों के संधारण हेतु वेतन, जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ता मद में आवंटन विभागीय आवंटनादेश संख्या 10 दिनांक 24/05/2017, आवंटनादेश संख्या–50 दिनांक 01.08.2017 एवं आवंटनादेश संख्या–93 दिनांक 23.11.2017एवं आवंटनादेश संख्या–99 दिनांक 13.12.2017 के द्वारा कमशः ₹1,04,82000/–, ₹16,29,000/–, ₹ 6,06,000/–एवं ₹ 2,86,000/– अर्थात कुल ₹1,30,03,000/–(एक करोड़ तीस लाख तीन हजार रू0) मात्र दिया गया था । आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, शीतलपूर (कटिहार) के मॉग पत्र के आलोक में वेतनादि मदों में कुल ₹ 1,60,000/– (एक लाख साठ हजार रू0) अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार दिया जाता है । (राशि–रू0 में)

कमांक	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	कुल आवंटित राशि
1	शीतलपूर (कटिहार)	70,000/–	80,000/–	10,000/–	1,60,000/–
	कुलः–	70,000	80,000	10,000	1,60,000

(कुल एक लाख साठ हजार रू0 मात्र)

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्यय शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण– 02– अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–282–स्वास्थ्य–मांग सं–44–0001–आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ट निवारण केन्द्रों का संधारण–'' कूट सं0–0001.01.01–वेतन, 0001.01.03–जीवन यापन भत्ता, 0001.01.04–मकान किराया भत्ता, विपत्र कोड –44–2225022820001 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है ।

3–इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी होंगे जो पूर्व से इस योजना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं । जहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, वहाँ राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे निकासी की गयी राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह में विभाग को भेजेंगे । साथ

ही व्यय के पश्चात राशि की बचत का मदवार प्रत्यार्पण विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे ।

4- वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है । अतः समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5- राशि की नियामानुसार निकासी एवं व्यय का पूर्ण दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगा तथा व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

6- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है ।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक ।

ज्ञापांक- सं0-6/निदे0आयु0चि0के0(संधा0)-01-01/2017- 107 पटना, दिनांक- 28.12.17

प्रतिलिपि :(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया / जिला पदाधिकारी, कटिहार/उप विकास आयुक्त, कटिहार /कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/संबंधित उप कोषागार पदा0/ प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, पूर्णिया/जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार/ बजट शाखा एवं सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ आई0टी0मैनेजर,अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक